

कॉरपोरेट दवालयिापन से नपिटने हेतु प्रारंभिक सीमा में बढ़ोतरी

प्रिलमिस के लयि:

कोरोना वायरस, MCA-21

मेंस के लयि:

कोरोना वायरस से नपिटने हेतु भारत सरकार के प्रयास

चर्चा में क्यो?

हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट दवालयिापन की कार्यवाई शुरू करने हेतु प्रारंभिक सीमा (Insolvency Threshold) को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है।

प्रमुख बडि:

- उल्लेखनीय है कयिह कदम [कोरोना वायरस](#) के प्रकोप (Corona Virus Outbreak) के दौरान कंपनयिों पर अनुपालन बोझ को कम करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दवालयिापन होने से रोकने के लयि कयिा गया है।
- इस कदम से कंपनयिों को मौजूदा व्यावसायिक परस्थितयिों में कंपनयिों और पेशेवरों पर बोझ को कम करने तथा व्यावसायिक जरूरतों को तत्काल पूरा करने की अनुमति मिलेगी।
- यदि 30 अप्रैल तक कोरोना वायरस की वजह से उत्पन्न परस्थितयिों में सुधार न होने पर सरकार छह महीने के लयि कंपनयिों के खिलाफ दवालयिापन कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगा सकती है।
- गौरतलब है कयि केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के MCA-21 पोर्टल के साथ अनविरय फाइलिंग पर स्थगन की घोषणा की है। इस अवधि के दौरान अनविरय फाइलिंग देर से दाखल करने पर आरोपित अतिरिक्त शुल्क को भी हटा दिया गया है।
 - MCA-21, भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs- MCA) की एक ई-गवर्नेंस पहल है, जो कॉरपोरेट संस्थाओं, पेशेवरों और नागरिकों को मंत्रालय की सेवाओं की आसान और सुरक्षित पहुँच के लयि सक्षम बनाता है।
- वशिषज्जों के अनुसार, दवाला कार्यवाई की शुरुआत हेतु प्रारंभिक सीमा में वृद्धि से मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (MSMEs) को आवश्यक सुरक्षा प्राप्त होगी।
- कंपनी अधिनयिम के तहत 'कम-से-कम एक नदिशक के वर्ष में कम-से-कम 182 दिनों तक देश में नविस करने' की आवश्यक शर्त से भी कंपनयिों को बाहर रखा जाएगा।

दवाला एवं दवालयिापन हेतु सामान्य कार्य प्रक्रयिा

- अगर कोई कंपनी कर्ज वापस नहीं चुकाती तो 'दवाला एवं दवालयिापन कानून' (IBC) के तहत कर्ज वसूलने के लयि उस कंपनी को दवालयिापन घोषित कर दिया जाता है।
- इसके लयि [नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल](#) (NCLT) की वशिष टीम कंपनी से बात करती है और कंपनी के मैनेजमेंट के राजी होने पर कंपनी को दवालयिापन घोषित कर दिया जाता है।
- इसके बाद उसकी पूरी संपत्ति पर बैंक का कब्जा हो जाता है और बैंक उस संपत्ति को कसिी अन्य कंपनी को बेचकर अपना कर्ज वसूल सकता है।
- IBC में बाज़ार आधारित समय-सीमा के तहत इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रयिा का प्रावधान है।
- IBC की धारा 29 में यह प्रावधान कयिा गया है कयि कोई बाहरी व्यक्ती (थर्ड पार्टी) ही कंपनी को खरीद सकता है।

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दशिा में कदम उठाते हुए एक नया दवालयिापन संहति संबंधी वधिषक 2016 में पारित कयिा था।
- दवाला एवं दवालयिापन संहति, 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट' और 'प्रोवेशियल इन्सॉल्वेंसी एक्ट 1920' को रद्द करती है तथा

- कंपनी एक्ट, लमिटेड लाइबलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूटाईज़ेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करती है।
- दरअसल, कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दवािलयिा हो सकते हैं और यदि कोई आर्थिक इकाई दवािलयिा होती है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
 - ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्तिया फर्म को भी तरह-तरह की मानसकि एवं अन्य प्रताड़नाओं से गुज़रना पड़ता है।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/government-raises-insolvency-threshold-to-1-crore>

